हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1–52/2011.—दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 9) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

सचिव,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2011 का विधेयक संख्यांक 9

दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्यांक 45) और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः——

1. **संक्षिप्त नाम.**——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **1860 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन.**——हिमाचल प्रेदश राज्य में यथा लागू भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304–कक. में,——

(क) ''सार्वजनिक सेवा यान'', शब्दों के स्थान पर, जहां–जहां ये आते हैं, ''कोई यान'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ख) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

3. **1974 के केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 2 का संशोधन.**——दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची के शीर्षक, **''भारतीय दण्ड संहिता के अधीन अपराध''** के अधीन, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू धारा 304–कक. से सम्बन्धित प्रविष्टियों के सामने स्तम्भ संख्या 2 में ''सार्वजनिक सेवा यान'' शब्दों के स्थान पर ''कोई यान'' शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू दण्ड विधि (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्यांक 19), द्वारा अन्तःस्थापित भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 कक. यह उपबन्ध करती है कि यदि कोई व्यक्ति मत्तता की अवस्था में ''सार्वजनिक सेवा यान'' चलाता है या चलाने का प्रयत्न करता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, या कोई ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, को आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दण्डित किया जाएगा। सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि धारा 304 कक. के उपबन्धों का उस मामलें में अवलम्ब नहीं लिया जा सकता है जहां मत्तता में सरकारी या प्राइवेट यान चलाने वाला कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है या शारीरिक क्षति कारित करता है जिससें मृत्यु कारित होना संभाव्य है और अपराधी धारा 304 कक. के बजाए धारा 304 क. के अधीन अभियोजन का भागी हो जाता है जो, जहां तक दण्ड की गम्भीरता का सम्बन्ध है, बहुत ही सामान्य धारा है। ऐसा भी पाया गया है कि धारा 304 कक. के उपबंध संविधान में दिए गए समानता के आधारभूत सिद्वान्त के विरुद्ध है और इसके सर्वव्यापी प्रयोग में विभेदकारी भी हैं। अतः इस असंगति को दूर करने के आशय से हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू धारा 304 कक. को संशोधित करने और **''सार्वजनिक सेवा यान''** पद के स्थान पर **''कोई यान''** शब्द रखने, इस धारा के अधीन उपबंधित स्पष्टीकरण का लोप करने तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की प्रथम अनुसूची में धारा 304 कक. से सम्बन्धित प्रविष्टियों को संशोधित करने का भी विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित किया जाना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख : ...., 2011

वित्तीय ज्ञापन

——शून्य——

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

——शून्य——

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 9 of 2011

THE CRIMINAL LAW (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Indian Penal Code, 1860 (**Act No. XLV of 1860)** and the Code of Criminal Procedure, 1973(Act No. 2 of 1974), in their application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Criminal Law (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of Central Act No. 45 of 1860.—In section 304-AA of the Indian Penal Code, 1860, in its application to the State of Himachal Pradesh,—

(a) for the words "a public service vehicle" where ever these occur, the words "any vehicle" shall be substituted; and

(b) the Explanation shall be omitted.

3. Amendment of Central Act No. 2 of 1974.—In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, of 1973, under the heading ''OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE", in its application to the State of Himachal Pradesh, against the entries relating to section 304-AA, under column 2, for the words "a public service vehicle", the words "any vehicle" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 304-AA of the Indian Penal Code,1860, inserted vide the Criminal Law (Himachal Pradesh Amendment) Act,1997 (Act No.19 of 1997), in its application to the State of Himachal Pradesh, provides for punishment with imprisonment for life,or imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and fine,if a person while in a state of intoxication, drives or attempt to drive "a public service vehicle" and causes the death of any person not amounting to culpable homicide, or causes any bodily injury likely to cause death. It has been brought to the notice of the Government that the provisions of section 304-AA cannot be invoked in the cases where, while driving the Government or private vehicle in a state of intoxication a person causes death of any person or bodily injury likely to cause death and the offender is subjected to prosecution under section 304-A instead of section 304-AA, which is a very moderate section in so far as the quantum of punishment is concerned. It has also been observed that the provision of section 304-AA is against the basic principal of equality enshrined in the Constitution and is also discriminatory in its universal application. Thus, in order to remove this discrepancy, it has been decided to amend section 304-AA, in its application to the State of Himachal Pradesh, and to substitute the expression **"a public service vehicle"** with the words **"any vehicle"** and to omit the Explanation provided under this section and also to amend the entries relating to section 304-AA in the First Schedule to the Code of Criminal Procedure,1973. This has necessitated amendments in the Act *ibid.*

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA :

The …….....……., 2011.

————————

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

————————

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—